

संख्या: पीईआर (एपी)-सी-ए (३)-७/२०११. तारीख शिमला-२, १७ जनवरी, २०१२.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीईआर (एपी)-सी-ए (३)-७/२०११ तारीख ३ अगस्त, २०११ द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, २०११ में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं सामान्य भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, २०११ है।
(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- उपाबन्ध-क का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, २०११ के उपाबन्ध-क में :-
स्तम्भ संख्या-११ के सामने विद्यमान मुख्य उपबन्ध अर्थात् प्रारम्भिक पैरा के निम्न परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:-
“परन्तु ऐसे समस्त पदधारी वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए केवल तभी पात्र होंगे, यदि वे सीधी भर्ती के लिए यथाविहित १०+२ की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखते हों, या सीधी भर्ती के विरुद्ध लिपिक के पद पर आमेलित किए गए हों।”

आदेश द्वारा,

मनीषा नन्दा
प्रधान सचिव (कार्मिक),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Authoritative English text of Government Notification No. Per (AP)-C-A(3)-7/2011 Dated: 17.01.2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel (AP-III)

No. Per (AP)-C-A(3)-7/2011

Dated: Shimla-2, the 17th January, 2012.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011 notified vide this Department Notification No. Per (AP)-C-A(3)-7/2011 dated the 3rd August, 2011, namely:-

Short title and 1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Commencement Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, H.P.

Amendment of 2. In Annexure-A of the Himachal Pradesh, Department of Annexure-A Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011:-

For the existing proviso carved out below the main provisions i.e. opening para against Col. No. 11, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that all such incumbents will be eligible for promotion to the post of Senior Assistant, only if, they possess the minimum educational qualification of 10+2 as prescribed for direct recruits or Clerks absorbed against direct recruitment post.”

By order,

Manisha Nanda
Principal Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh